JPST-ESTN06GEN(GOLM)/1/2026-ESTN-UPST

पत्र संख्या-स्था0-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन(100)/ 1/469714/2026 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::17-02-2026

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश(जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय,
लखनऊ-प्रथम, कानपुर-प्रथम को छोडकर)।

विषय-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाना।

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-03/2026/26/6408/7-331/ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 02.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किये जाने सम्बन्धी बिन्दुवार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उक्त शासनादेश दिनांक 02.02.2026 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 17-02-2026
11:44:31
(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. -अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय, लखनऊ-प्रथम एवं कानपुर-प्रथम को उक्त शासनादेश दिनांक 02.02.2026 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. - अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. - अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
4. - संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
5. - आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

संलग्नकः-विभागीय वेबसाइड पर अपलोड ।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 17-02-2026
16:49:02
संयुक्त आयुक्त(स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

संख्याः 03/2026/26/6408/7-331/ज0नि0प्र0/2024

प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

अपर आयुक्त (प्रशा)
06-2-2026

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी**
   उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ   दिनांकः 02 फरवरी, 2026

विषयः प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाना।

महोदय/ महोदया,

प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन, योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का आच्छादन एवं जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6/2022/724/35-1-2022/35-1010(099)/5/2021 दिनांक 21 जुलाई, 2022; शासनादेश संख्या 8/2022/1003/35-1-2022-7-331/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 1/2023/26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019टी0सी0-4 दिनांक 07 फरवरी, 2023 द्वारा फैमिली आई0डी0-एक परिवार एक पहचान योजना संचालित है।

2. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा यह विदित है कि पूर्व में संचालित एवं वर्तमान में लागू उन समस्त योजनाओं, जिन्हें आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है अथवा जिन्हें भविष्य में अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों में फैमिली आई0डी0 को अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

3. विभागों के अन्तर्गत संचालित स्टेट सैक्टर की DBT योजनाओं तथा सेवाओं हेतु डिजिटलीकरण के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। निर्देशों के क्रम में, आवेदन पत्र में आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक का सृजित फैमिली आई0डी0 नवीन कॉलम में स्वतः प्रदर्शित किया जाना प्रावधानित है। यदि आवेदक की फैमिली आई0डी0 उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में फैमिली आई0डी0 बनाए जाने हेतु पॉप-अप संदेश प्रदर्शित किया जाए।

4. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस से प्रदेश में संचालित योजनाओं एवं सेवाओं को लिंक/ मैप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं/ सेवाओं के लाभ को मैप करने, अवशेष पात्र लाभार्थियों की पहचान कर स्वचालन की ओर अग्रसर होते हुए लाभार्थीपरक/ कल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने तथा अन्य योजनाओं/ सेवाओं हेतु पात्रता निर्धारित करना है।

5. फैमिली आई0डी0 योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर वेब आधारित ई-पासबुक विकसित की गई है, जिसमें परिवार को प्रदान की गई समस्त सरकारी योजनाओं/ सेवाओं का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने के साथ ही सदस्यवार विवरण भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पासबुक में एक Assisted Discovery Platform (ADP) भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से परिवार एवं उनके सदस्यों द्वारा प्रविष्ट किए गए डाटा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(परिवार की संरचना, आयु, आय इत्यादि) तथा फैमिली आई0डी0 डाटाबेस के आधार पर संभावित पात्र योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर स्वयं निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

6. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की DBT योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान कर योजनाओं/ सेवाओं का लक्षित, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

भवदीय,

(एस0 पी0 गोयल)
मुख्य सचिव

संख्या: 03/2026/26/6408/7-331/ज0नि0प्र0/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव